न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कैलाश देवी बनाम ज्याना देवी वगैरह

बाजदायरी प्रा॰पत्र स्वीकार 31/1/2022

किस्म वादः– बाजदायरी प्रार्थना पत्र   प्रार्थना पत्र संख्या 33/2022

(५३)

	वकिल प्रार्थी श्री अजीत सिंह राठौड़	
17.01.2022	कैलाश देवी बनाम ज्याना देवी यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री अजीत सिंह राठौड़ ने न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.12.2021 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने से प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र बाजदायरी वास्ते सुनवाई दिनांक 31.01.2022 को पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
31.01.2022	प्रार्थना पत्र बाजदायरी वास्ते सुनवाई पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी को बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी निवेदन किया कि अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि अपील को आदेश 09 नियम 3 जाप्ता दीवानी में खारिज किया जाता है तो उसके लिए आदेश 09 नियम 4 जाप्ता दीवानी में बाजदायरी होती है इसलिए अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस की जरूरत नही होती है। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्राथीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	